डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] रायपुर, सोमवार , दिनांक 7 जनवरी 2002—पौष 17, शक 1923

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जनवरी 2002

आदेश

क्रमांक 27/परिवहन/2002.—यत: नियम 56 का संशोधन छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 द्वारा किया गया था, एवं यत: एतद् संशोधित नियम 1 दिसम्बर, 2001 से प्रभावशील हुआ.

अब इसलिए,राज्य सरकार छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 56 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नानुसार समयावधि, जिसमें यान के स्वामी को मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत नया नम्बर लेना होगा, निश्चित करती है :—

(अ) यदि मोटरयान परिवहन यान है तो, 8 मई 2002, से पूर्व एवं

(ब) अन्य प्रकरणों में, 8 जनवरी 2003, से पूर्व

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. विज, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 जनवरी 2002

क्रमांक 27/परि.वि./2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्या दिनांक 7-1-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विज, विशेष सचिव.

Raipur, the 7th January 2002

ORDER

No. 27/Transport/2002.—WHEREAS rule 56 was amended by the Chhattisgarh Motor Vehicles Rule, 1994; AND WHEREAS the said amended rule came to force from 1st December, 2001;

NOW THEREFORE, the State Governmet in exercise of powers conferred by rule 56 of the Chhattisgarh Motor Vehicle Rule, 1994, fix the time period whithin which the owner of vehicle shall obtain new number under the Motor Vehicle Act, 1988, as under :—

A. in case the motor vehicle is a transport vehicle, before 8th May, 2002 and

B. in other cases, before 8th January, 2003.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. K. VIJ, Special Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002